न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–144/1999
CIS NO. TS 202/2019

ओमप्रकाश आय एवं अन्य...वादीगण
बनाम
हुश्नबानो एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.10.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.09.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 वो सपठित आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी ओमप्रकाश आर्य की मृत्यु दिनांक 23.08.2025 हो चुका है। मृतक वादी की पत्नी मनोरमा देवी का देहांत उनके जीवनकाल में वर्ष 2020 में ही वफात कर चुकी है। मृतक वादी अपने पिछे विधिक वारिसान के रूप में चार पुत्र विजय प्रकाश आर्य, वेद प्रकाश आर्य, ज्ञान प्रकाश आर्य वो विनय प्रकाश आर्य एवं दो पुत्रियां सुभद्रा कुमारी और सुमित्रा जयसवाल को छोड़कर मरे है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक वादी ओम प्रकाश आर्य के नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का कृपा किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी ओम	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–144/1999

CIS NO. TS 202/2019

ओमप्रकाश आय एवं अन्य...वादीगण

बनाम

हुश्नबानो एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **29.10.2025**	प्रकाश आर्य की मृत्यु हो चुकी है। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K. Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.09.2025 को स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार वादी ओम प्रकाश आर्य (मृतक) का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता है। वाद दिनांक 12.11.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	